न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 42/2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. भॅवरसिंह पुत्र धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. हाथीसिंह पुत्र धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. महावीरसिंह पुत्र धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. भॅवरी पुत्री धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. कौशल्या पुत्री धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
7. मनभर पुत्री धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. पुष्पा पुत्री धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. लाडा पुत्री धूलचन्द कौम दरोगा निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. गुलाब देवी पत्नी आशाराम जाति गुर्जर निवासी केकडी जिला–अजमेर।
11. रामगोपाल पुत्र कानाराम जाट निवासी उंगाई तहसील केकडी जिला–अजमेर।
12. प्रेमचन्द पुत्र मिश्रीलाल जाति जैन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरण सिह चौधरी राजकीय अभिभाषक
2. श्री शान्ति प्रकाश औझा अभिभाषक अप्रार्थी 10 से 12 (क्रेतागण)

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 07.12.2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा आदेश क्रमांक–1493–94 दिनांक 14.12.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम नायकी के खसरा सं0 1076 में से रकबा 3.35 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी सं0 1 से 09 को आवंटित की गई। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (।।) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के पत्रांक भूमि आवंटन/203 दिनांक 4.7.2016 से आवंटित की गई भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम नायकी राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

07/12/17

जिला कलक्टर
अजमेर

(ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम नायकी के खसरा सं0 1076 में से रकबा 3.35 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 9 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 966 दिनांक 14. 3..2013 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 9 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से केता अप्रार्थी संख्या 10 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1030 दिनांक 05.02.2014 व अप्रार्थी सं0 10 द्वारा विक्रय किये जाने से 11 एवं 12 के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 24.06.2014 को निरस्त किये जाने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 10 से 12 की ओर से एडवोकेट शान्तिप्रकाश औझा उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 09 की तलबी हेतु जारी नोटिस श्री शैतानसिंह के द्वारा प्राप्त किये गये, कोई उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी सं. 10 से 12 के अभिभाषक ने प्रश्नगत भूमि बाबत अप्रार्थी संख्या 01 से 09 द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 एवं 10 द्वारा अप्रार्थी सं0 11 एवं 12 को को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिये जाने से प्रश्नगत भूमि बाबत अप्रार्थी सं0 1,से 9 का कोई हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में अन्तिम निर्णय बाबत सुने जाने का निवेदन किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया ।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक के आदेश कमांक–1493–94 दिनांक 14.12.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम नायकी के खसरा सं0 1076 में से रकबा 3.35 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 से 9 को किया गया। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 1 से 09 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 966 दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 09 द्वारा उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं0 10 को विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 1030 दिनांक 5.2. 2014 एवं तत्पश्चात नामा0 सं0 1047 दिनांक 24.6.2014 के द्वारा भूमि अप्रार्थी सं0 11, 12 के नाम दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में नायकी, मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि को आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/213 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (।।) में भी मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा उक्त आवंटित भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। अतः नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम नायकी के खसरा सं0 1076 में से रकबा 3.35 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 से 9 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 966

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

07/11/17
जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक 14.3.2013 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 10 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1030 दिनांक 05.02.2014 एवं तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 11, 12 के पक्ष में स्वीकृत नामा0 संख्या 1047 दिनांक 24.06.2014 नियम विरूद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किये जावें।

जवाब में क्रेता अप्रार्थी सं0 10 से 12 के अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम नायकी में स्थित आराजी खसरा नं0 70, 1076, 1078 की भूमि को विशेष प्रावधानों के तहत विस्थापितों को आवंटन किये जाने हेतु आरक्षित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में सिवाय चक के स्थान पर बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के लिए आरक्षित का अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात खसरा सं0 1076 में से रकबा 3.35 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय बीसलपुर बांध की डूब में अप्रार्थीगण की आराजियात को अवाप्त किये जाने के बदले में आवंटित की गई है जो कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने से उपरोक्त आवंटन, कीमतन आवंटन है जिसके विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण पोषणीय नहीं है। ग्राम नायकी को मास्टर प्लान का ग्राम घोषित किये जाने एवं स्थानीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने बाबत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है, जबकि उपरोक्त आवंटन आदेश पारित किये जाने से पूर्व सभी प्रकार की जांच किये जाने उपरान्त कीमतन आवंटन किया गया है। विस्थापितों को भूमि आवंटन का प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया बल्कि विशेष पैकेज के रूप में किया जाने से उक्त आराजी पैरा फैरी में आने से प्रभावित नहीं होगी। निरीक्षक प्रतिवेदन राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/13 के पैरा सं0 14 के बिन्दू (।।) के आधार पर आवंटन नियम विरूद्ध माना गया जो क्षैत्राधिकार से बाहर होने से गलत है। अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली इस न्यायालय के अधिनस्थ अधिकारी नहीं होने से उपरोक्त रेफरेन्स प्रकरण के सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है। आवंटी (अप्रार्थीगण) द्वारा प्रश्नगत भूमि को आगे पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान किये जाने से क्रेता अप्रार्थीगण सद्भाविक क्रेता होने से जब तक पंजीकृत विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लें तब तक उक्त रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत रेफरेन्स को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम नायकी राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश क्रमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम नायकी के खसरा सं0 338 में से रकबा 3.35 हैक्टेयर का अप्रार्थी सं0 1 से 09 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 966 दिनांक 14.03.2013 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 10 व 11,12 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 1030 दिनांक 05.02.2011 एवं 1047 दिनांक 24.06.2014 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 09 के पक्ष में किया गया विवादित

08/11/17

जिला कलक्टर
अजमेर

भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 966 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1030 व 1047 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 7.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

07/12/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर